



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273357  
CG-DL-E-11062026-273357

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2896]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2896]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

का.आ. 2994(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.966(अ) दिनांक 20/02/2026, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 24/02/2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ड्रिल साइट JTN#22 से जोटाणा जीजीएस तक JTN#74, 36, 14 & 57 होते हुवे ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के लक्ष्मीपुरा - गाँव, तहसील- महेसाणा, मांकणाज, मोदीपुर और जोटाणा - गाँव, तहसील - जोटाणा एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 05/03/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

### अनुसूची

पाइपलाइन फॉर ड्रिल साइट JTN#22 से जोटाणा जीजीएस तक JTN#74, 36, 14 & 57 होते हुवे

तालुका: - मेहसाणा

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4		
1	121		00	13	15
2	124		00	19	80
3	512		00	03	55
4	191		00	02	60
5	190		00	18	00
6	189		00	12	35
7	188		00	10	85
8	132		00	42	80
9	134		00	16	60
10	142		00	09	75
11	162		00	28	65
कुल क्षेत्रफल			01-78-10		

पाइपलाइन फॉर ड्रिल साइट JTN#22 से जोटाणा जीजीएस तक JTN#74, 36, 14 & 57 होते हुवे

तालुका: - जोटाणा

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4		
1	367		00	10	20
2	348		00	37	75
3	347/002		00	09	10
4	346		00	04	50

5	मांकणाज	344	पूर्व भाग-1280	00	12	80
6		341		00	11	60
7		179		00	26	90
8		180		00	39	50
9		183		00	15	60
10		184		00	13	20
11		187		00	13	85
12		188		00	12	55
13		194		00	09	90
14		182		00	11	70
15		185		00	04	95
16		176		00	23	60
17		161		00	12	15
18		162		00	03	50
19		164		00	16	85
20		144		00	07	00
21		143		00	06	85
22		142		00	05	50
23		141		00	01	30
24		140		00	12	60
25		133		00	10	20
26		134		00	13	00
27		135		00	00	50
28		102		00	27	00
29		92	पूर्व भाग-1760 पश्चिम भाग-1725	00	34	85
30		91		00	05	10
31		89		00	10	80
32		87		00	06	45
33		88		00	04	90
34		85		00	05	10
35		84		00	13	60
36		83		00	02	80
37		82		00	16	75
38		76		00	22	10
39		75		00	22	55

40	मांकणाज	104		00	10	75
41		105		00	13	60
42		2127		00	02	30
43		68		00	10	85
44		69		00	09	05
45		65		00	29	35
46		70		00	03	75
47		2124		00	02	80
48		2165		00	01	10
49		2079		00	04	20
50		2080		00	38	60
51		2081		00	08	00
52		2082		00	02	25
53		1940		00	04	75
54		1941		00	05	00
55		1942		00	19	50
56		1946		00	07	20
57		1892		00	23	80
58		1894	पश्चिम भाग-3625	00	36	25
59		2121		00	02	05
60		1807		00	16	70
61		1808		00	01	40
62		1809		00	22	75
63		1806	पूर्व भाग-660	00	06	60
64		1805		00	26	25
65		1758		00	18	35
66		1759		00	15	80
67		1748		00	09	30
68		1746		00	21	25
69		1745		00	15	70
70		2118		00	01	35
71		1652		00	12	50
72		1651		00	11	00
73		1648		00	18	50
74		1645		00	05	05
75		2117		00	04	05

76	मांकणाज	1622		00	36	70
77	मोदीपुर	143		00	44	65
78		140		00	20	00
79		137	पूर्व भाग-415 पश्चिम भाग-430	00	08	45
80		138		00	09	05
81		186		00	11	15
82	जोटाणा	189		00	16	10
83		190		00	09	65
84		191		00	09	05
85		192		00	14	10
			कुल क्षेत्रफल		11-39-75	

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/12/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-52687)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

**S.O. 2994(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 966(E) Dated 20/02/2026 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 24/02/2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from DRILL SITE JTN#22 TO JOTANA GGS VIA JTN#74,36,14&57 in LAXMIPURA Village, Taluka & District - Mehsana, MANKNAJ, MODIPUR & JOTANA, Taluka - Jotana & District Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 05/03/2026.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

## SCHEDULE

## PIPELINE FOR DRILL SITE JTN#22 TO JOTANA GGS VIA JTN#74,36,14&amp;57

TALUKA:- MEHSANA

DISTRICT:-MEHSANA

STATE:-GUJARAT

Name of village		Survey No./Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Laxmipura	121		00	13	15
2		124		00	19	80
3		512		00	03	55
4		191		00	02	60
5		190		00	18	00
6		189		00	12	35
7		188		00	10	85
8		132		00	42	80
9		134		00	16	60
10		142		00	09	75
11		162		00	28	65
		<b>Total Area</b>		<b>01-78-10</b>		

## PIPELINE FOR DRILL SITE JTN#22 TO JOTANA GGS VIA JTN#74,36,14&amp;57

TALUKA:- JOTANA

DISTRICT:-MEHSANA

STATE:-GUJARAT

Name of village		Survey No./Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Mankanaj	367		00	10	20
2		348		00	37	75
3		347/002		00	09	10
4		346		00	04	50
5		344	East Part-1280	00	12	80
6		341		00	11	60
7		179		00	26	90
8		180		00	39	50
9		183		00	15	60
10		184		00	13	20
11		187		00	13	85
12		188		00	12	55
13		194		00	09	90
14		182		00	11	70
15		185		00	04	95
16		176		00	23	60
17		161		00	12	15
18		162		00	03	50
19		164		00	16	85
20		144		00	07	00
21		143		00	06	85
22		142		00	05	50
23		141		00	01	30
24		140		00	12	60
25		133		00	10	20
26		134		00	13	00
27		135		00	00	50
28		102		00	27	00

29	Mankanaj	92	East Part- 1760 West Part- 1725	00	34	85	
30		91		00	05	10	
31		89		00	10	80	
32		87		00	06	45	
33		88		00	04	90	
34		85		00	05	10	
35		84		00	13	60	
36		83		00	02	80	
37		82		00	16	75	
38		76		00	22	10	
39		75		00	22	55	
40		104		00	10	75	
41		105		00	13	60	
42		2127		00	02	30	
43		68		00	10	85	
44		69		00	09	05	
45		65		00	29	35	
46		70		00	03	75	
47		2124		00	02	80	
48		2165		00	01	10	
49		2079		00	04	20	
50		2080		00	38	60	
51		2081		00	08	00	
52		2082		00	02	25	
53		1940		00	04	75	
54		1941		00	05	00	
55		1942		00	19	50	
56		1946		00	07	20	
57		1892		00	23	80	
58		1894	West Part- 3625	00	36	25	
59		2121		00	02	05	
60		1807		00	16	70	
61		1808		00	01	40	
62		1809		00	22	75	
63		1806	East Part- 660	00	06	60	
64		1805		00	26	25	
65		1758		00	18	35	
66		1759		00	15	80	
67		1748		00	09	30	
68		1746		00	21	25	
69		1745		00	15	70	
70		2118		00	01	35	
71		1652		00	12	50	
72		1651		00	11	00	
73		1648		00	18	50	
74		1645		00	05	05	
75		2117		00	04	05	
76		1622		00	36	70	
77		Modipur	143		00	44	65
78			140		00	20	00
79			137	East Part- 415 West Part- 430	00	08	45

80	Modipur	138		00	09	05
81	Jotana	186		00	11	15
82		189		00	16	10
83		190		00	09	65
84		191		00	09	05
85		192		00	14	10
		<b>Total Area</b>			<b>11-39-75</b>	

[F. No. Expl-13011(26)/12/2025-EXPL-PNG(E-52687)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.